रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2008/फाल्गुन 28, 1929

No. 38] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2008/PHALGUNA 28, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2008

दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008

(2008 का संख्यांक 2)

सं. 301-14/2008-आर्थिक.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख), उप-खंड (i) के साथ पठित उक्त धारा के उप-खंड (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाएगा ।

(2) यह आदेश 17 मार्च, 2008 को प्रवृत्त होगा ।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची XI में,—

(क) मद 1 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ के स्थान पर, उस मद के सामने निम्नलिखित टैरिफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

टैरिफ
"मद 1 के सामने निर्दिष्ट प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 500 रु. तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 1000 रु.";

(ख) मद 2 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ के स्थान पर, उस मद के सामने निम्नलिखित टैरिफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

टैरिफ
"मद 2 के सामने निर्दिष्ट प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 500 रु. तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 1000 रु.";

एम. कन्नन, सलाहकार (आर्थिक)

[विज्ञापन III/4/142/2007/असा.]

टिप्पणी 1 :— दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 9 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-3-1999
दूसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31-5-1999
तीसरा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31-5-1999
चौथा	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28-7-1999
5वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17-9-1999
6वां	301-4/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-9-1999
7वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-3-2000
8वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31-7-2000
9वां	301-8/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28-8-2000
10वां	306-1/99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9-11-2000
11वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 25-1-2001
12वां	301-9/2000-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25-1-2001
13वां	303-4/ट्राई-2001 दिनांक 1-5-2001
14वां	306-2/ट्राई-2001 दिनांक 24-5-2001
15वां	310-1(5)/ट्राई-2000 दिनांक 20-7-2001

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
16वां	310-5(17)/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14-8-2001
17वां	301/2/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22-1-2002
18वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30-1-2002
19वां	303/3/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28-2-2002
20वां	312-7/2001-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14-3-2002
21वां	301-6/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13-6-2002
22वां	312-5/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4-7-2002
23वां	303/8/2002-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6-9-2002
24वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 24-1-2003
25वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 12-3-2003
26वां	306-2/2003-आर्थिक दिनांक 27-3-2003
27वां	303/6/2003-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25-4-2003
28वां	301-51/2003-आर्थिक दिनांक 5-11-2003
29वां	301-56/2003-आर्थिक दिनांक 3-12-2003
30वां	301-4/2004-आर्थिक दिनांक 16-1-2004
31वां	301-2/2004-आर्थिक दिनांक 7-7-2004
32वां	301-37/2004-आर्थिक दिनांक 7-10-2004
33वां	301-31/2004-आर्थिक दिनांक 8-12-2004
34वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 11-3-2005
35वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 31-3-2005
36वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 21-4-2005
37वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2-5-2005
38वां	312-7/2003-आर्थिक दिनांक 2-6-2005
39वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 8-9-2005
40वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 16-9-2005
41वां	310-3(1)/2003-आर्थिक दिनांक 29-11-2005
42वां	301-34/2005-आर्थिक दिनांक 7-3-2006
43वां	301-2/2006-आर्थिक दिनांक 21-3-2006
44वां	301-34/2006-आर्थिक दिनांक 24-1-2007
45वां	301-18/2007-आर्थिक दिनांक 5-6-2007
46वां	301-36/2007-आर्थिक दिनांक 24-1-2008

टिप्पणी 2:—व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉलों को नियंत्रित करने के लिए 5 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007(2007 का 4) बनाए थे तथा इस प्रकार उसने बुनियादी टेलीफोन अथवा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के सब्सक्राइबरों को अवांछनीय टेलीमार्केटिंग कॉलों/ संदेशों से होने वाली परेशानी और असुविधा को कम किया था।

2. प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कॉल-न-करें (एनडीएनसी) रजिस्ट्री स्थापित की है जोकि अक्तूबर, 2007 से कार्य कर रही है। एनडीएनसी को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित किया जा रहा है। टेलीमार्केटरों को टेलीमार्केटिंग कॉलें करने से पूर्व अपने कॉलिंग टेलीफोन नम्बरों की सूची का सत्यापन एनडीएनसी से करना अपेक्षित है। सब्सक्राइबर अपने टेलीफोन नम्बरों को अपने संबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एनडीएनसी में सूचीबद्ध कर सकते हैं। संबंधित सेवा प्रदाता अनुरोध प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर टेलीफोन नम्बर को एनडीएनसी में शामिल कर देंगे।

3. सभी टेलीमार्केटरों को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पास स्वयं को पंजीकृत कराना अपेक्षित है। एनडीएनसी रजिस्ट्री में ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है।

4. प्राधिकरण, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) तथा एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड टेलीकॉम सर्विसेज ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) ने एनडीएनसी में पंजीकरण करने की पद्धति को अग्रणी दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया था। कॉल सेंटर नम्बर/शार्ट मैसेस सर्विस (एसएमएस) नम्बर, जिन पर पंजीकरण कराया जा सकता है, संबंधित सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इनका अवलोकन वेबसाइट www.ndncregistry.gov.in पर भी किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के नम्बर एनडीएनसी में दर्ज करने के लिए उन्हें आसान पहुंच सुलभ कराने के हेतु चार अंकों का एक विशेष कोड '1909' भी आवंटित किया है।

5. प्राधिकरण ने "दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनेक बैठकें भी कीं।

6. अभी तक, 8.3 मिलियन से अधिक फोन प्रयोक्ताओं ने एनडीएनसी रजिस्ट्री में "कॉल न करें" के लिए पंजीकरण करवा लिया है। लगभग 13600 टेलीमार्केटरों ने संचार और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पास स्वयं को पंजीकृत करा लिया है। अपनी कॉलिंग सूची की जांच करने के लिए रोजाना लगभग 600 टेलीमार्केटरों द्वारा एनडीएनसी का उपयोग किया जा रहा है। टेलीमार्केटरों द्वारा जांच करने के लिए दर्ज किए गए लगभग 1522 मिलियन नम्बरों में से, एनडीएनसी द्वारा 1411 मिलियन नम्बरों को कॉल करने की स्वीकृत प्रदान की गई है।

7. प्राधिकरण के पास दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) को अधिसूचित किए जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

8. जैसाकि दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 7 में पहले ही कहा गया है, टेलीमार्केटिंग कॉलों ने हमारी संसद, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा दिल्ली के राज्य आयोग (उपभोक्ता) का ध्यान आकर्षित

किया है। इसके अलावा, टेलीमार्केटिंग कॉलों के बारे में प्राधिकरण को भी उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । वर्तमान स्थिति अपेक्षित स्तर की तुलना में अत्यंत निम्न स्तर पर है तथा दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) का गैर-अनुपालन निरंतर जारी है क्योंकि प्रभावी वित्तीय प्रतिबंधों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है ।

9. पंजीकृत टेलीमार्केटरों को भी अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण भेजने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 को भी दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 द्वारा संशोधित किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण हेतु [बुनियादी सेवाओं (आईएसडीएन के अलावा) तथा सेल्युलर मोबइल दूरसंचार सेवा (सीएसटीएस) से किए गए] प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ के रूप में पांच सौ रुपये देय होंगे तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ के रूप में एक हजार रुपये देय होंगे ।

10. प्राधिकरण आशा करता है कि प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए पांच सौ रुपये तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए एक हजार रुपये के टैरिफ की उच्च दर अधिसूचित करने से उपभोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा तथा इससे दूरसंचार क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुकर हो सकेगा ।

11. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण भेजने के लिए टेलीमार्केटरों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपर्युक्त उच्च टैरिफ के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को भी अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण भेजने के प्रति हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण (संशोधन) विनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया जा रहा है ताकि वित्तीय हतोत्साहन के माध्यम से ऐसे सेवा प्रदाता, जो उक्त विनियमों के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, द्वारा संदाय की जाने वाली उनमें उल्लिखित कतिपय राशियों के भुगतान का उपबंध किया जा सके । दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 तथा दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण (संशोधन) विनियम, 2008 का उद्देश्य उक्त विनियमों की प्रभाविता और अनुपालन में सुधार करना है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2008

The Telecommunication Tariff (Forty-seventh Amendment) Order, 2008

(No. 2 of 2008)

No. 301-14/2008-Eco.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely :—

1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Forty-seventh Amendment) Order, 2008.

(2) It shall come into force on the seventeenth day of March, 2008.

2. In Schedule XI to the Telecommunication Tariff Order, 1999,—

(a) for the tariff specified against item 1, the following tariff shall be substituted against that item, namely :—

TARIFF

"Rs. 500 for every first unsolicited commercial communication and Rs. 1000 for every subsequent unsolicited commercial communication, referred against item 1";

(b) for the tariff specified against item 2, the following tariff shall be substituted against that item, namely :—

TARIFF

"Rs. 500 for every first unsolicited commercial communication and Rs. 1000 for every subsequent unsolicited commercial communication, referred against item 2."

M. KANNAN, Advisor (Eco)

[ADVT III/4/142/07-Exty.]

Note 1.—The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below :—

Amendment No.	Notification No. and Date
1st	301-4/99- TRAI (Econ) dated 30-3 -1999
2nd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31-5-1999
3rd	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31-5-1999
4th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28-7-1999
5th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17-9-1999
6th	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30-9-1999
7th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30-3-2000
8th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31-7-2000
9th	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28-8-2000
10th	306-1/99- TRAI(Econ) dated 9-11-2000
11th	310-1 (5)/TRAI-2000 dated 25-1-2001
12th	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25-1-2001
13th	303-4/TRAI-2001 dated 1-5-2001
14th	306-2/TRAI-2001 dated 24-5-2001
15th	310-1 (5)/TRAI-2000 dated 20-7-2001
16th	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14-8-2001
17th	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22-1-2002
18th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30-1-2002
19th	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28-2-2002
20th	312-7/2001-TRAI(Econ) 14-3-2002
21st	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13-6-2002
22nd	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4-7-2002
23rd	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6-9-2002
24th	306-2/2003-Econ dated 24-1-2003
25th	306-2/2003-Econ dated 12-3-2003
26th	306-2/2003-Econ dated 27-3-2003
27th	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25-4-2003
28th	301-51/2003-Econ dated 5-11-2003

Amend-ment No.	Notification No. and Date
29th	301-56/2003-Econ dated 3-12-2003
30th	301-4/2004(Econ) dated 16-1-2004
31st	301-2/2004-Eco dated 7-7-2004
32nd	301-37/2004-Eco dated 7-10-2004
33rd	301-31/2004-Eco dated 8-12-2004
34th	310-3(1)/2003-Eco dated 11-3-2005
35th	310-3(1)/2003-Eco dated 31-3-2005
36th	312-7/2003-Eco dated 21-4-2005
37th	312-7/2003-Eco dated 2-5-2005
38th	312-7/2003-Eco dated 2-6-2005
39th	310-3(1)/2003-Eco dated 8-9-2005
40th	310-3(1)/2003-Eco dated 16-9-2005
41st	310-3(1)/2003-Eco dated 29-11-2005
42nd	301-34/2005-Eco dated 7-3-2006
43rd	301-2/2006-Eco dated 21-3-2006
44th	301-34/2006-Eco dated 24-1-2007
45th	301-18/2007-Eco dated 5-6-2007
46th	301-36/2007-Eco dated 24-1-2008

Note 2.—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Forty-seventh Amendment) Order, 2008.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Background :

The Telecom Regulatory Authority of India (the Authority) had made the "Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulation, 2007 (4 of 2007)" on the 5th June, 2007 for curbing the unwanted telemarketing calls and thereby reduce the nuisance and inconvenience to the subscribers of basic telephone or cellular mobile telephone services from the unsolicited tele-marketing calls/messages.

2. The Authority has set up the National Do Not Call (NDNC) Registry which is operational since October 2007. The NDNC is being operated and maintained by the National Informatics Centre (NIC), in the Ministry of Communications and Information Technology. The tele-marketers are required to verify their calling telephone numbers' list with the NDNC Registry before making tele-marketing calls. The subscribers can get their telephone numbers listed in NDNC through their respective service providers. The respective service providers shall upload the telephone number to the NDNC within thirty days of receipt.

3. All tele-marketers are required to get themselves registered with the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunication). On line registration facility is available in the NDNC Registry.

4. The Authority, Cellular Operators Association of India (COAI) and Association of Unified Telecom Services of India (AUSPI) have advertised in the leading National dailies, the procedure for registering in NDNC. The details of call center number/Short Message Service (SMS) numbers on which the registration can be done are available on the websites of respective service provider. The same can also be accessed from the website www.ndncregistry.gov.in. The Department of Telecommunications has also allotted a special four digit code "1909" to enable easy access to the consumers to register their number in NDNC.

5. The Authority also held a series of meetings with the service providers to ensure effective implementation of the "Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulation, 2007 (4 of 2007)".

6. Till date, more than 8.3 million phone users have registered for 'Do Not Call' in NDNC Registry. About 13600 telemarketers have got themselves registered with the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunication).The NDNC is being accessed daily by around 600 tele-marketers for scrubbing their calling list. Out of approximately 1522 million numbers uploaded by the telemarketers for scrubbing, 1411 million numbers were cleared by NDNC for calling.

7. The Authority has received several complaints with regard to the harassment of the consumers even after the notification of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007).

8. As already stated in paragraph 7 of the Explanatory Memorandum to the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007), the telemarketing calls have engaged the attention of our Parliament, the Hon'ble Supreme Court of India, the Hon'ble High Court of Delhi, the Reserve Bank of India, and the State Commission (Consumer) of Delhi. Besides there have also been a number of consumer complaints made to the Authority about telemarketing calls. The situation is still much below the desired level and non-compliance of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007) continues as there is no provision for effective financial sanctions.

9. In order to discourage the registered telemarketers also from sending Unsolicited Commercial Communications, the Telecommunication Tariff Order, 1999 is also being amended by the Telecommunication Tariff (Forty-seventh Amendment) Order, 2008 so as to provide that five hundred rupees shall be payable as tariff for each unsolicited commercial communication [made from Basic Services (Other than ISDN) and Cellular Mobile Telecom Service (CMTS)] for every first unsolicited commercial communication and rupees one thousand shall be payable as tariff for every subsequent unsolicited commercial communication.

10. The Authority expects that notifying higher rate of tariff of rupees five hundred for every first unsolicited commercial communication and rupees one thousand for every subsequent unsolicited commercial communication would protect the interest of consumers and service providers and facilitate orderly growth of telecom sector.

11. Apart from the above higher tariff payable by the telemarketers for sending Unsolicited Commercial Communications, and in order to discourage the service providers also from sending Unsolicited Commercial Communications, the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007) are also being amended by the Telecom Unsolicited Commercial Communications (Amendment) Regulations, 2008 so as to provide payment of certain amounts by way of financial disincentives specified therein payable by such service provider which violate certain provisions of said regulations. The object of the Telecommunication Tariff (Forty-seventh Amendment) Order, 2008 and the Telecom Unsolicited Commercial Communications (Amendment) Regulations, 2008 is to improve the effectiveness and compliance of the said regulations.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.